न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण **GCMS NO 2025/40**
दायरा तिथि : 01.01..2025
आदेश तिथि : 23-04-2025
प्रार्थी :–

शाईना बिल्डर्स प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर सुनील तलवार पुत्र जगदीश लाल तलवार निवासी शास्त्री नगर जोधपुर

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक: 23-04-25

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 530 रकबा 0.8500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 533 रकबा 0.4500 हैक्टर व खसरा नंबर 483 रकबा 0.5300 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2025/940 दिनांक 09.04.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि प्रार्थी के खेत में कटान मार्ग खसरा नंबर 530 तक आवागमन हेतु कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से उपलब्ध नहीं है एवं प्रस्तावित या आवेदित रास्ता ही एक मात्र स्त्रोत है, जो छोटा एवं सिवायचक भूमि में से है।
2. यह है कि आवेदक द्वारा प्रस्तावित रास्ता किसी सडक अथवा किसी कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का है। इससे कम दूरी का रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध समस्त स्त्रोतों में से निकटतम है।
3. यह है कि प्रस्तावित रास्ता खसरा नंबर 483 रकबा 0.53 हैक्टर प्रार्थी स्वयं की खातेदारी भूमि है एवं खसरा नंबर 533 रकबा 0.45 हैक्टर सिवायचक पडत है, जिसका प्रार्थी आवागमन हेतु उपयोग करता है।
4. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	483	0.53 हैक्टर	बारानी दोयम	64X9=576 वर्गमीटर	प्रार्थी स्वयं की खातेदारी भूमि
2	533	0.45 हैक्टर	बारानी दोयम	54X9=486 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

5. यह कि भू.अ. निरीक्षक बीजापुर द्वारा प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 2,20,000/–रू/– रूपये प्रति हैक्टर है।
6. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतू उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष या अन्य कोई क्षति नहीं है।

प्रकरण मे तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पेज लगातार..........02

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी बाली

Scanned with CamScanner

//02//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2025/40

अनवान शाइना बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 530 रकबा 0.8500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है। खसरा नंबर 483 प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि है। जिसमें से रास्ता दिये जाने बाबत प्रार्थी ने स्वयं प्रार्थना पत्र पेश किया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 530 रकबा 0.8500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 533 रकबा 0.4500 हैक्टर में से **486 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।
राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 220000/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
533	0.45 हैक्टर	54X9=486 वर्गमीटर	22	10692X2=21384	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
483	0.53 हैक्टर	64X9=576 वर्गमीटर	NIL	रास्ते हेतु सरकारी खाते में निःशुल्क दर्ज की जावें	प्रार्थी स्वयं की खातेदारी भूमि है।

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 21384/– (अक्षरे इक्कीस हजार तीन सौ चौरासी रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली (राज.)

(दिनेश बिश्नोई)
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमॉक/कोर्ट/2025/349–353

दिनांक : 23.4.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बीजापुर
3. पटवारी हल्का, बीजापुर
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक शाईना बिल्डर्स प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर सुनील तलवार पुत्र जगदीश लाल तलवार निवासी शास्त्री नगर जोधपुर को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार | NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि) | दिनांक : 08/03/2025 07:54:43 PM

जिला :पाली | तहसील : बाली | भू अ नि क्षेत्र :बीजापुर

पटवारी हल्का :बीजापुर | ग्राम : बीजापुर

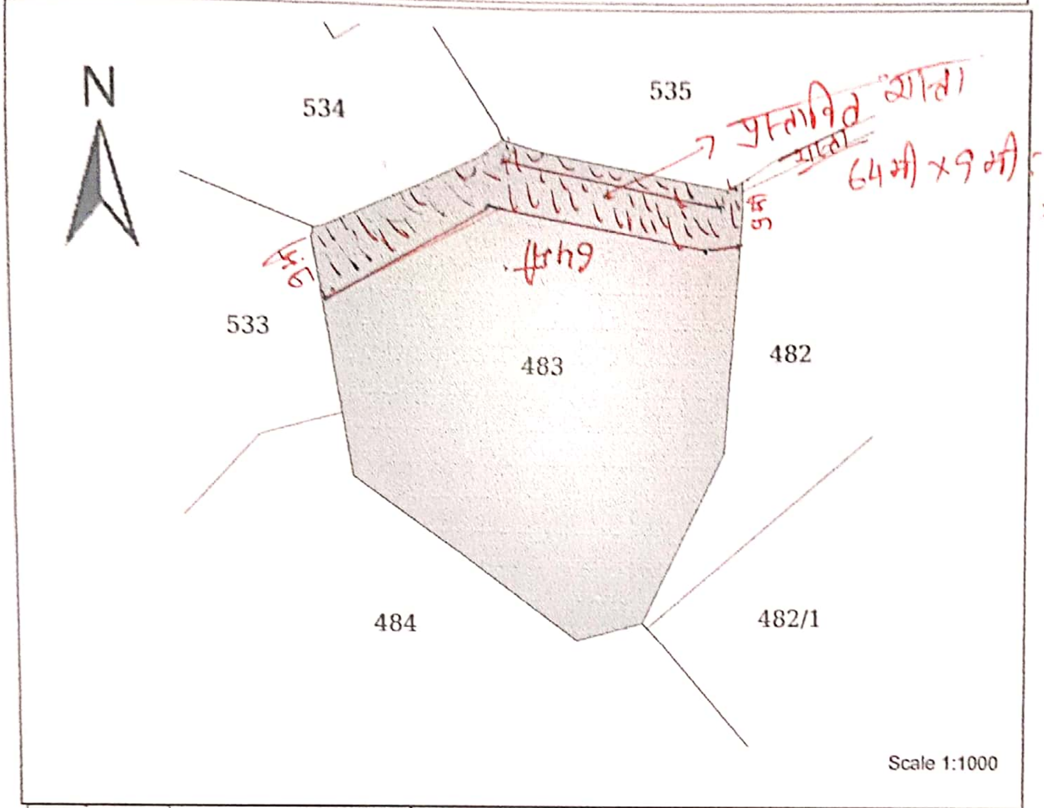

खसरा संख्या :483 क्षेत्रफल : 0.5300 Hectare खाता संख्या : 1376पुराना खाता संख्या :276
भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बारानी दोयम [0.5300, 2.65]
1.) शाईना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर ईशान तलवार एंड अक्षित तलवार पुत्र नही हिस्सा- पूर्ण जाति- पंजाबी खत्री मकान संख्या- A-53, कॉलोनी- शास्त्री नगर जोधपुर , क्षेत्र/स्थान- जोधपुर , शहर- जोधपुर , पिन कोड- 342003, ज़िला - JODHPUR,राज्य- RAJASTHAN
खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

तहसीलदार, बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner